न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—157/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88/53 आरटीए

1. खुशराज सिह पुत्र श्री वीर सिह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम

1. वीर सिह पुत्र श्री भगवान सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. लखविन्द्र कौर पुत्री वीरसिंह पत्नी मंगासिह जाति जटसिख साकिन पन्नीवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3. ओ.बी.सी.बैक शाखा खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री कलवन्तसिंह मान — वकील वादी
2— श्री सन्तोष कुमार सोलंकी — वकील प्रति सं. 1 ता 2

निर्णय दिनांक :— 21.08.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी स. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 19 एएमपी खाता संख्या 95/47 में कुल 6.933 है. कृषि भूमि मय गैर मुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि का विवरण निम्नप्रकार से है चक 19 एएमपी के खाता संख्या 95/47 पं.नं. 120/166 मु.नं. 18 किला नं. 18 ता 24/0.253 है. प्रे. किला नं. 25/0.228 है. कुल 1.999 है. पं.नं. 121/166 मु. नं. 19 किला नं. 20,21/0.253 है. कुल 0.506 है. पं.नं. 123/167 मु.नं. 31 किला नं. 3/0. 215 है. किला नं. 4/1/0.108 है. पं.नं. 121/167 मु.नं. 33 किला नं. 1,2,3,4/0.215 है.प्रे. किला नं. 5/0.190 कुल 1.05 है. पं.नं. 120/167 मु.नं. 34 किला नं. 1 ता 4/0.215 है. प्र. किला नं. 7 ता 10/0.253 है.प्र. किला नं. 12 ता 14/0.253 है. कुल 2.631 है. कुंल योग 6. 509 है. गै.मु. रास्ता 0.424 है. कुल योग 6.933 है. मय गै.मु. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा अर्सा पूर्व हो चुका है तथा बंटवारे के अनुसार ही वादी अपनी कृषि भूमि पर शान्ती पूर्वक तरीके से काबिज होकर काश्त करता है वादी के कब्जा काश्त में हक व हिस्सा की कृषि भूमि निम्न प्रकार से है खुशराज सिंह पुत्र वीरसिंह के हक व हिस्सा व कब्जा व कब्जा काश्त की भूमि चक 19 एएमपी के खाता संख्या 95/47 पं.नं. 120/166 मु.नं. 18 किला नं. 18 ता 24/0.253 है. प्रे. किला नं. 25/0.228 है. कुल 1.999 है. मुमकिन 0.025 है. गैर मुमकिन रास्ता कुल 2.024 है. मय गै.मु. पं.नं. 121/166 मु.नं. 19 किला नं. 20/0.253 है. कुल 0.253 है. पं.नं. 121/167 मु.नं. 33 किला नं. 1/0.215 है. कुल 0.253 है. मुमकिन 0.038 है. गै.मु. रास्ता कुल 0.253 है मय गै.मु. कुल योग 2.467 है. मुमकिन 0.063 है. गै.मु. रास्ता कुल 2.53 है. मय गै.मु. कृषि भूमि प्राप्त हुई

है इसी अनुसार वादी के कब्जा काश्त में निरन्तर व लगातार चली आ रही है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। इसी अनुसार वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा खाता विभाजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की सगी बहिन है प्रतिवादी संख्या 2 का विवाह हो चुका है एव प्रतिवादी संख्या 2 अपने ससुराल में खुश है प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना तमाम हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी ने प्रतिवादीगण से गत सप्ताह निवेदन किया है कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवा देवे तथा खाता तकसीम करवा देवे स्पष्ट् इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। राजीनामा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ प्रतिवादी संख्या 3 (ओ.बी.सी. बैक शाखा खेरूवाला) द्वारा रहन फक होने का प्रमाण पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी हरमीतकौर के सहमति के शपथ–पत्र मय आईडी की प्रति पेश किया गया जिन्हे शामिल मिसल किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत शाहपीनी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 वीरसिह का वारिसनामा जारी है की प्रमाणित चित्रप्रतियां प्रस्तुत की है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से चक 19 एएमपी के खाता संख्या 30 में दर्ज जमबान्दी सम्वत 2037 भगवान सिह पुत्र हरदियाल सिह के नाम की प्रमाणित चित्रप्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है। इसके अलावा वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी बन्द किया जाता हैं।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक नं. 19 एएमपी 95/47 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 6.933 है. आराजी पैतृक सम्पति है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी का प्रतिवादीगण से राजीनामा भी हो गया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 19 एएमपी के खाता संख्या 30 में दर्ज जमबान्दी सम्वत 2037 भगवान सिह पुत्र हरदियाल सिह के नाम की प्रमाणित चित्रप्रति पेश की है जिसमे उक्त भूमि वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत शाहपीनी से जारी वारिसान तस्दीक के आधार पर वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक नं. 19 एएमपी के खाता सं. 95/47 ज.सं. 2070–2073 में 6.933 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 19 एएमपी के खाता संख्या 30 में दर्ज भगवान सिह पुत्र हरदियाल सिह के नाम की प्रमाणित जमबान्दी सम्वत 2037 की चित्रप्रति से वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना प्रमाणित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आराजी की घोषणा बाबत राजीनामा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी स. 1 के नाम से चक 19 एएमपी खाता संख्या 95/47 में कुल 6.933 है. कृषि भमि मे से वादी को पं.नं. 120/166 मु.नं. 18 किला नं. 18 ता 24/0.253 है. प्रे. किला नं. 25/0.228 है. कुल 1.999 है. मुमकिन 0.025

है. गैर मुमकिन रास्ता कुल 2.024 है. मय गै.मु. पं.नं. 121/166 मु.नं. 19 किला नं. 20/0.253 है. कुल 0.253 है. पं.नं. 121/167 मु.नं. 33 किला नं. 1/0.215 है. कुल 0.253 है. मुमकिन 0.038 है. गै.मु. रास्ता कुल 0.253 है मय गै.मु. कुल योग 2.467 है. मुमकिन 0.063 है. गै.मु. रास्ता कुल 2.530है. मय गै.मु. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित जाता है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का 2.530 है. मय गै.मु. हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–243/2019

1. खुशराज सिह पुत्र श्री वीर सिह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1 वीर सिह पुत्र श्री भगवान सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. लखविन्द्र कौर पुत्री वीरसिंह पत्नी मंगासिह जाति जटसिख साकिन पन्नीवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3. ओ.बी.सी.बैक शाखा खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कलवन्तमान वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सतोष कुमार सोलकी वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी स. 1 के नाम से चक 19 एएमपी खाता संख्या 95/47 में कुल 6.933 है. कृषि भूमि मे से वादी को पं.नं. 120/166 मु.नं. 18 किला नं. 18 ता 24/0.253 है. प्रे. किला नं. 25/0.228 है. कुल 1.999 है. मुमकिन 0.025 है. गैर मुमकिन रास्ता कुल 2.024 है. मय गै.मु. पं.नं. 121/166 मु.नं. 19 किला नं. 20/0.253 है. कुल 0.253 है. पं.नं. 121/167 मु.नं. 33 किला नं. 1/0.215 है. मुमकिन 0.038 है. गै.मु. रास्ता कुल 0.253 है मय गै.मु. कुल योग 2.467 है. मुमकिन 0.063 है. गै.मु. रास्ता कुल 2.530 है. मय गै.मु. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित जाता है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का 2.530 है. मय गै.मु. हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.08.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.28 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: